संख्या–443850/36(एम.एल.ए.) 2022/ 97007

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5866
CE(P)
3/11
प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 28 अक्टूबर, 2026

विषयः राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर अन्तर्गत प्रथम चरण के 04 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का. लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन जिसके अंतर्गत मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 10.50 कि0मी0 एवं लागत रू0 14.77 लाख है, के शासन द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 14.77 लाख (रू0 चौदह लाख सतहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु रू0 40.00 हजार (रू. चालीस हजार मात्र प्रत्येक कार्य हेतु दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

3439
SSOPI
3/11/26
मुख्य अभियन्ता (राज्य योजना)

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	अनुमोदित लागत (धनराशि लाख में)		चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि
			विभागीय टी.ए.सी. द्वारा	शासन द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विकासखण्ड यमकेश्वर में खेडा मल्ला से प्राईमरी स्कूल व पोलिंग सेन्टर बासवा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)लम्बाई– 3.50कि0मी0। (EDPR-7889)	3.50	5.76	5.76	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत राजबाट से जौली तक मोटर मार्ग	2.00	3.29	3.29	0.10

EE(P-I)
04/11
SAO
5/11/26

File No. PWD2/1/2026-III-2-Public Works Department (Computer No. 97007)
Generated from eOffice by GOVIND SINGH, Review Officer-PWD Section-02-GS, REVIEW OFFICER, Public Works Department on 28/10/2026 04:33 pm

Scanned with OKEN Scanner

	का नव निर्माण। (प्रथम चरण)(EDPR-11252)				
3.	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत धूरा धनई गांव की सडक का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य 'प्रथम चरण' (EDPR-8888)	2.0	0.78	0.78	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत पालांस मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण) (EDPR-11257)	3.0	4.94	4.94	0.10
	योग	10.50	14.77	14.77	0.40

(रू0 चालीस हजार मात्र)

2. उपरोक्त स्वीकृतियॉ निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

i. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्याः–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ii. आगणन में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

iv. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

v. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290 XXVII(7)/2012 वित्त अनुभाग–7 (वे.आ.–सा. वित्त अनुभाग–7 (वे.आ.–सा.नि.) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाये।

vi. आगणन के अन्तर्गत किसी मद की पुनरावृत्ति न हो व आगे इस कार्य हेतु भेजे जाने वाला आगणन सभी भागों को संकलित करते हुए पुनरीक्षित आगणन के रूप में गठित कर प्रेषित किया जाये, जिससे कि कोई संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।

vii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

viii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

File No. PWD2/1/2026-III-2-Public Works Department (Computer No. 97007)
Generated from eOffice by GOVIND SINGH, Review Officer-PWD Section-02-GS, REVIEW OFFICER, Public Works Department on 28/10/2026 04:33 pm

Scanned with OKEN Scanner

ix. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रक्यौरमेन्ट रूल्स–2025 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा– निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

x. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31–03–2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

xiii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xiv. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–383/III(1)19–190(PWD)01टी.सी-II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

xv. उक्त कार्य हेतु शासनादेश संख्या– 1403/III/(2)/21–08 (सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xvi. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28–03–2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या–4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

xvii. सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– I/276791/2025 ई पत्रावली संख्या– 23430{15(सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

xviii. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व , कार्य करने के दौरान एवं कार्य की समाप्ति पर फोटोग्राफ एवं विडियों विभागाध्यक्ष एवं कार्यदायी संस्था द्वारासमाप्ति पर फोटोग्राफ एवं विडियों विभागाध्यक्ष एवं कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जायेगी।संरक्षित रखी जायेगी।

xix. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के संबंध में वित विभाग के शासनादेश संख्या–14901 /xxvii(7) /E- 20109 /2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाये। यह भी देख लिया जाये कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो आहरण नही किया जायेगा, अर्थात यह सुनिश्चित कर लिया जाय की दोहराव की स्थिति नहीं हो।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं. –22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य –03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक– I/443641/2026 दिनांक 27.10.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

File No. PWD2/1/2026-III-2-Public Works Department (Computer No. 97007)
Generated from eOffice by GOVIND SINGH, Review Officer-PWD Section-02-GS, REVIEW OFFICER, Public Works Department on 28/10/2026 04:35 pm

Scanned with OKEN Scanner

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 28-10-2026
11:53:20

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
9. अधिशासी अभियन्ता, [illegible].ख. लोक निर्माण विभाग, [illegible]।

[illegible]

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -i/443850/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26100220078
आवंटन पत्र दिनांक-30-OCT-2026

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नये निर्माण कार्य	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	6050000	40000	0	6090000
योग	6050000	40000	0	6090000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.40,000 (Rupees Forty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

UTTARAKHAND

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक–1385/20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–1/2026, दिनांक–5 नवम्बर,2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, ।
4. आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner